

120
क्रम संख्या-184 (ग)

126
पंजीकृत संख्या-यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009-11

(लाइसेंस दू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेंट)



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, सोमवार, 06 सितम्बर, 2010 ई0

भाद्रपद 15, 1932 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-9

संख्या 58/2010/XXVII(9)/मनो0कर-28/2009

देहरादून, 06 सितम्बर, 2010

अधिसूचना

प0 आ0-127

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 01, सन् 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 एवं उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, सन् 1979) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) और (2), धारा 4 की उपधारा (1), धारा 4(क) की उपधारा (1) और धारा 4(ख) की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, शासकीय अधिसूचना संख्या 30 ई0बी0-9(17)/81-वित्त (मनोरंजन कर) अनुभाग दिनांक 12 अप्रैल, 1989, संख्या 1022/10-एम0के0 89-30 ई0बी0-9(17)/81 वित्त (मनोरंजन कर) अनुभाग दिनांक 27 अप्रैल, 1989, संख्या 2201/दस-म0क0-90-तीस ई0बी0-9(17)/81 टी0सी0, दिनांक 08 अगस्त, 1990, संख्या 3400/11-म0क0-बीस आर(6)/93, दिनांक 15 अक्टूबर, 1994 तथा उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 200/वि0अनु0-5/मनो0कर/2002, दिनांक 12 जुलाई, 2002, संख्या 145/XXVII(6)/मनो0कर/2005, दिनांक 17 अगस्त, 2005, संख्या 51/XXVII(9)/

मनो0कर/2008, दिनांक 25 अप्रैल, 2008, संख्या 50/XXVII(9)/मनो0कर/2008, दिनांक 25 अप्रैल, 2008, संख्या 323/XXVII(9)/मनो0कर/2009, दिनांक 18 अगस्त, 2009, संख्या 02/2010/XXVII(9)/मनो0कर-2009/59/2008, दिनांक 01 जनवरी, 2010, संख्या 441/XXVII(9)/मनो0कर-25/2009, दिनांक 25 फरवरी, 2010 तथा संख्या 118/2010/XXVII(9)/मनो0कर-13/2008, दिनांक 06 अप्रैल, 2010 का अधिक्रमण करके एवं अधिसूचना संख्या XXX.E.B.(2)/76 वित्त (मनोरंजन कर) अनुभाग, दिनांक 22 जुलाई, 1981 का आंशिक रूप से संशोधन करते हुए आदेश देते हैं कि आमोद कर का उद्ग्रहण और भुगतान इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने की तारीख से नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर किया जायेगा, अर्थात् :-

अनुसूची

क्र0सं0	आमोद के वर्ग	आमोद कर की दरें
1.	किसी अन्तर्वर्ती सिनेमा से भिन्न किसी सिनेमा में चलचित्र प्रदर्शन	1. रु0 25.00 तक के टिकट पर — 20 प्रतिशत 2. रु0 26.00 से रु0 50.00 तक के टिकट पर — 30 प्रतिशत 3. रु0 50.00 से अधिक के टिकट पर — 40 प्रतिशत जो सिनेमागृह छूट की प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत निर्मित हुए हैं, उन्हें पूर्ववत् उक्त योजना के अन्तर्गत छूट की सुविधा अनुमन्य होगी
2.	हाऊजी	खेल में प्रारम्भिक प्रवेश हेतु प्रत्येक समय भुगतान और खेलने के लिये या खेलना जारी रखने के लिये प्रत्येक समय भुगतान का 30 प्रतिशत (बाहे भुगतान कार्डों या पुस्तिकाओं या अन्यथा के रूप में वर्णित हो)
3.	वायुयान द्वारा मनोरंजन के लिये उड़ान	प्रत्येक प्रवेश शुल्क का 30 प्रतिशत
4.	घुड़दौड़	प्रत्येक प्रवेश शुल्क का 30 प्रतिशत
5.	मद संख्या 1 से 4 के अन्तर्गत न आने वाले समस्त अन्य प्रकार के आमोद, प्रदर्शन यथा— (अ) स्वांग, कार्निवाल, कैबरे या मंच प्रदर्शन, वाउलिंग रेले एवं वाटर स्पोर्ट्स (जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय) (ब) कठपुतली, जायण्ट हवील, कौशल के खेल, वीडियो गेम, रोप-वे, पैडलबोट, रीवर राफ्टिंग, बंगी जम्प, हॉट एयर गैस बैलूनिंग तथा पैरा ग्लाइडिंग, आदि	प्रत्येक प्रवेश शुल्क का 30 प्रतिशत प्रत्येक प्रवेश शुल्क का 20 प्रतिशत

125

6.	अशास्त्रीय संगीत एवं नृत्य	प्रत्येक प्रवेश शुल्क का 25 प्रतिशत
7.	अन्तर्वर्ती सिनेमा प्रारम्भ होने से 01 वर्ष की अवधि के लिए किसी स्थानीय क्षेत्र में जिसकी जनसंख्या— (क) 10,000 तक हो (ख) 10,000 से अधिक हो	₹0 500.00 प्रति सप्ताह ₹0 1000.00 प्रति सप्ताह
8.	(क) वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन— (एक) किसी स्थानीय क्षेत्र में स्थित स्थाई भवन में; (दो) किसी स्थानीय क्षेत्र में स्थित अस्थायी भवन में; (तीन) किसी सार्वजनिक संवायान में वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन (ख) केबिल टी0वी0 स्वामी द्वारा अपने कंट्रोल रूम से स्थानीय चैनल के माध्यम से प्रदर्शित फिल्म तथा अन्य संगीत के कार्यक्रमों पर	₹0 1000.00 प्रति सप्ताह ₹0 500.00 प्रति सप्ताह ₹0 2000.00 प्रति माह ₹0 2000.00 प्रति सप्ताह, प्रति चैनल
9.	डी0टी0एच0 (डाइरेक्ट टू होम) प्रसारण सेवा	(क) घरेलू उपभोक्ताओं के मामलों में पच्चीस रुपये (₹0 25.00) प्रति कनेक्शन प्रतिमाह (ख) वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों यथा होटलों एवं रेस्टोरेंटों के मामलों में पचास रुपये (₹0 50.00) प्रति टी0वी0 सेट, प्रतिमाह
10.	केबिल टी0वी0	(क) घरेलू उपभोक्ताओं के मामलों में बीस रुपये (₹0 20.00) प्रति कनेक्शन, प्रतिमाह (ख) वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों यथा होटलों एवं रेस्टोरेंटों आदि के मामलों में चालीस रुपये (₹0 40.00) प्रति टी0वी0 सेट, प्रतिमाह।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त।